

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (EXCISE) DEPARTMENT**

No.: F.4(1)FD/Ex/2017-Part-I

Jaipur, Dated: 1st April, 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 41 of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No.II of 1950), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Foreign Liquor (Grant of Wholesale Trade and Retail off Licences) Rules, 1982 and orders with reference to the proviso to sub-section (3) of the said section that previous publication of these amendment rules is dispensed with as the State Government considers that they should be brought into force at once namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Rajasthan Foreign Liquor (Grant of Wholesale Trade and Retail off Licences) (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule 3.— In rule 3 of the Rajasthan Foreign Liquor (Grant of Wholesale Trade and Retail off Licences) Rules, 1982, the existing proviso shall be deleted.

By order of the Governor,

04/2017-18



(Hardyesh Kumar Juneja)
Jt. Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information & necessary action:

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(c) Part II of extraordinary Gazette. 15 copies of the Gazette may please be sent to Excise Commissioner, Rajasthan, Udaipur with the bill and 5 copies of Gazette may please be sent to this department.
2. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
3. Commissioner, Excise Department, Rajasthan, Udaipur.
4. PS to Principal Secretary, Finance Department.
5. PS to Secretary, Finance (Revenue) Department.
6. Additional Director, Computer Cell, Finance Department, Secretariat, Jaipur.
7. Guard file.



Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

सं.प.4(1)वित्त/आब/2017-पार्ट-1

दिनांक : 01 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं 2) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विदेशी शराब (थोक व्यापार और खुदरा विक्रय की अनुज्ञप्ति की मंजूरी) नियम, 1982 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त धारा की उप-धारा (3) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इन संशोधन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात् :-


1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विदेशी शराब (थोक व्यापार और खुदरा विक्रय की अनुज्ञप्ति की मंजूरी) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 3 का संशोधन.**— राजस्थान विदेशी शराब (थोक व्यापार और खुदरा विक्रय की अनुज्ञप्ति की मंजूरी) नियम, 1982 के नियम 3 में, विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

04/2017-18


(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 05 प्रतियां इस विभाग को तथा 15 प्रतियां आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव